

# जल संरक्षण का सामाजिक आंदोलन बन रहा कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान : भजनलाल शर्मा

पहले प्याऊ बनवाते थे, अब धरती की प्यास बुझाने के लिए रिचार्ज स्ट्रक्चर बनवाएं : सी. आर. पाटिल

जयपुर। केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने कहा है कि वह दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान सबसे अधिक पानी वाला राज्य होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश को जल आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि आमजन भी जल की एक-एक बूंद के महत्व को समझते हुए जल संचय में जुड़े, इस उद्देश्य से शुरू किया गया कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान अब एक जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है।



कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत सांगानेर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल का स्वागत किया।

सीआर पाटिल ने बुधवार को राजकीय महाविद्यालय सांगानेर में सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के वर्षा जल संचयन के कार्यों के भूमि पूजन के अवसर पर कहा कि राज्य में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री ने राज्य को संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना (एकीकृत ईआरसीपी) के रूप में बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि 70 हजार करोड़ रुपये लागत की इस परियोजना में राज्य सरकारों पर मात्र 10 प्रतिशत ही वित्तीय भार आया और 90 प्रतिशत अंशदान केन्द्र सरकार देगी। उन्होंने कहा कि यमुना जल समझौते से शेखावाटी क्षेत्र की जल समस्या का भी स्थायी समाधान हो जाएगा।

पाटिल ने कहा कि राजस्थान के लोगों से अधिक पानी के महत्व को कोई नहीं समझ सकता है। पहले के समय में राजस्थानी लोग जहां भी जाते थे वहां प्याऊ बनवाते थे। लेकिन अब प्याऊ की जगह धरती की प्यास बुझाने के लिए वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनवाने की जरूरत है ताकि हर गांव का पानी गांव में, हर खेत का पानी खेत में और हर घर का वर्षा जल घर में ही जमीन में उतर सके। उन्होंने कहा कि कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अन्वी संकल्पना 'कैच द रेन' से प्रेरित है। इस अभियान में राजस्थान में 45 हजार रैन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर वर्ष 2027-28 तक बनाए जाने हैं, जो वर्षा का पानी संग्रहित कर भूमिगत पानी के स्तर को बढ़ाएंगे। देशभर में 10 लाख रैन वाटर रिचार्ज बोरे के लक्ष्य के साथ चलाया जा रहा यह अभियान जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजस्थान के उद्यमी और भासाशाहों को

इस अभियान में जोड़ने के लिए सराहनीय कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जल संचय के कार्यों के शुभारंभ के लिए बारिश आने से बेहतर और कोई शुभ संकेत नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जल संसाधनों की सीमितता को देखते हुए वर्षा जल को व्यर्थ बहने से रोकना और संरक्षित करना आवश्यक है। इसी दिशा में 'कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान' संचालित किया जा

■ 'प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबसे अधिक पानी वाला राज्य होगा राजस्थान'

रहा है। उन्होंने कहा कि जन सहभागिता से जल संचयन के कार्यों को सशक्त बनाने के इस अभियान में प्रवासी राजस्थानियों का भी अहम सहयोग प्राप्त हो रहा है। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार और जन भागीदारी के साझा प्रयासों से सांगानेर जल संरक्षण और संवर्धन के लिए एक आदर्श बनेगा। इसी तरह प्रदेश के हर कोने में जल संचयन के कार्यों को गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक, गांव, पंचायत, कस्बा और शहर इस अभियान का हिस्सा बने और जल संरक्षण के इस पुनीत कार्य में योगदान दे। कार्यक्रम की शुरुआत में केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्षा जल संचयन के कार्यों का विधिवत भूमि पूजन कर शुभारम्भ किया।

इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी एवं भू-जल मंत्री कन्हैया लाल, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अमय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव पीएचईडी एवं भू-जल भास्कर ए. सावंत सहित जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

# वन नेशन-वन एप्लीकेशन के तहत विधानसभा का सदन हो रहा है डिजिटल : देवनानी



विधानसभा के सदन में आयोजित समारोह में लगभग एक सौ दस विधायकों ने बुधवार को आइपेड के माध्यम से एक दिवसीय प्रशिक्षण लिया।

■ 'तकनीकी युग की आवश्यकता अनुसार राजस्थान विधानसभा को बनाया जा रहा है पेपरलेस'

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि इस सूचना एवं तकनीकी युग में डिजिटल पद्धति से कार्य किया जाना समय की आवश्यकता है। राजस्थान विधान सभा भी इस क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़े, इसके लिये वन नेशन-वन एप्लीकेशन के तहत विधान सभा में यह प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान विधान सभा का सदन सूचना तकनीक के साथ नये कलेवर में तैयार हो गया है। सदन में 200 विधायकों की सीटों पर आइपेड लगाये गये हैं। इन आइपेड के माध्यम से विधायकगण सदन में ऑनलाईन पद्धति से विधान कार्यों का सम्पादन कर सकेंगे। देवनानी की अध्यक्षता में विधान सभा के सदन में आयोजित समारोह में लगभग एक सौ दस विधायक ने बुधवार को आइपेड के माध्यम से सदन से संबंधित कार्यों को करने का एक दिवसीय प्रशिक्षण लिया। लोक सभा सचिवालय से आये नेता और एनआईसी के अधिकारियों ने तकनीकी प्रशिक्षण दिया। विधायक को विधान संबंधी कार्य सम्पादित करने के लिये आइपेड पर दिये गये भौतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुये विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने

कहा कि अब विधायक ऑफलाइन के साथ-साथ नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाईन पद्धति से भी कार्य सम्पादित कर सकेंगे। देवनानी ने कहा कि वन नेशन-वन एप्लीकेशन नेवा के तहत राजस्थान विधान सभा के सदन में भी लोक सभा व राज्य सभा की तर्ज पर विधान संबंधी कार्य होंगे। देवनानी ने कहा कि विधानसभा के सभागार में सदस्यों की सीटों पर कम्प्यूटर उपकरण स्थापित करने और विधानसभा सचिवालय को पेपरलेस किये जाने हेतु नेवा प्रोजेक्ट के तहत विधायक को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) के तहत विधान सभा को डिजिटलाइज्ड परियोजना के तहत केन्द्र व राज्य सरकार के वित्त का उपयोग 60 व 40 के अनुपात में किया गया है। देवनानी ने बताया कि सदन में विधायक की प्रत्येक सीट पर एक आइपेड लगाया गया है। एक लैपटॉप मय

प्रिन्टर विधायकगण को उनके आवास के लिए भी उपलब्ध कराया जायेगा। इस परियोजना में 12.61 करोड़ रुपये की राशि व्यय हुई है। इस राशि में 60 प्रतिशत केन्द्र सरकार एवं 40 प्रतिशत भागीदारी राज्य सरकार की है। देवनानी ने बताया कि विधानसभा में नेवा सेवा केन्द्र (ई लॉजिंग कम ई-फैसिलिशन सेन्टर) की भी स्थापना की जा रही है। इस केन्द्र के तकनीकी अधिकारी विधायक, अधिकारियों व कर्मचारियों को नेवा मॉड्यूलस की जानकारी उपलब्ध करायेंगे। केन्द्र द्वारा प्रशिक्षण सामग्री अंग्रेजी व हिन्दी में उपलब्ध कराई जायेगी। देवनानी ने कहा कि सत्र के दौरान विधायकगणों की सुविधा के लिए प्रोजेक्ट के तहत सदन में सहायता उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी कर्मचारी मौजूद रहेंगे। जिस भी विधायकगण को ऑनलाईन कार्य करने में असुविधा होगी उसके लिए मोके पर ही तकनीकी सहायता उपलब्ध करा दी जायेगी।

## 'दौसा के समरावली गांव में 4 एकड़ जमीन पर एक माह में कब्जे हटायें'

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट में दौसा जिले से सबरावली गांव में करीब 4 एकड़ सवाई चक जमीन पर से अतिक्रमण हटाने के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले पर न्यायाधीश एम.एम.श्रीवास्तव और उमाशंकर व्यास ने सुनवाई करते हुए आदेश दिये हैं कि अदालत आदेश तहसीलदार और एस.डी.ओ. को मिलते ही एक माह में अतिक्रमण हटाये।

उक्त जमीन पर तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण हटाने के संबंध में 10 सितम्बर 24 को आदेश जारी कर दिये गये थे। याचिकाकर्ता राजेश कुमार, ज्ञानसिंह गुर्जर, संपतराम शर्मा और नाथूराम गुर्जर ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं के वकील अनुराग कलावटिया ने अदालत को इस सत्य से अवगत कराया कि तहसीलदार के आदेशों के बावजूद उक्त जमीन से अतिक्रमण इसलिये नहीं हटाया जा रहा है क्योंकि राजस्व अधिकारियों को बार-बार गुहार करने के बावजूद पुलिस सुरक्षा नहीं दी जा रही है। उन्होंने अदालत को बताया कि तहसीलदार के आदेश से जाहिर है कि जिला दौसा के सबरावली गांव में खसरा नम्बर 407 सवाई चक जमीन है जिस पर अतिक्रमण जारी है और याचिकाकर्ताओं द्वारा जिला मजिस्ट्रेट और डी.एस.पी. को बार-बार पत्र लिखने के बावजूद अतिक्रमण हटाने के लिये पुलिस सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अदालत ने कहा कि अतिक्रमणकारियों को किसी भी अपील में या अन्य मामले में तहसीलदार के आदेश के खिलाफ स्टे नहीं मिला है। इसलिये उनके खिलाफ आदेशानुसार तुरंत करवाई की जानी चाहिये।

## सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में 52 अफसरों का तबादला

जयपुर (का.सं.)। राज्य सरकार ने बुधवार को आदेश जारी कर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के 52 अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, जनसंपर्क अधिकारी और सहायक जनसंपर्क अधिकारी शामिल हैं। आदेश के मुताबिक अतिरिक्त निदेशक डॉ. कमलेश शर्मा को पुलिस मुख्यालय जयपुर, संयुक्त निदेशक नरेंद्र इंदोरिया को पत्र-पंजीयन शाखा मुख्यालय जयपुर, मनमोहन हर्ष को प्रस्थान शाखा मुख्यालय जयपुर, जसराम मीणा को मुख्यालय में न्यूज मॉनिटरिंग व अभिलेखागार शाखा तथा रजनीश शर्मा को मुख्यालय जयपुर में विभाग शाखा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी प्रकार उपनिदेशक श्रवण कुमार चौधरी को सूचना एवं जनसंपर्क मुख्यालय जयपुर में क्षेत्र प्रचार शाखा, क्षिप्रा भटनागर को पत्र पंजीयन शाखा, हेमंत सिंह को सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय जयपुर, डॉ. रविन्द्र सिंह को मुख्यालय जयपुर में आयोजना शाखा में लगाया है। उपनिदेशक हरिशंकर आचार्य को सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय बीकानेर में लगाते हुए स्कूल शिक्षा विभाग जयपुर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। तरूण कुमार जैन को मुख्यालय जयपुर में ईएनजी शाखा में लगाते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। सहायक निदेशक अजय कुमार को मुख्यालय जयपुर में पत्र-पंजीयन शाखा में लगाते हुए पत्रकार शाखा व जल संसाधन विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। दयाशंकर शर्मा को मुख्यालय जयपुर में समाचार शाखा, हेतप्रकाश शर्मा को सामाजिक

■ अति. निदेशक डॉ. कमलेश शर्मा को पुलिस मुख्यालय में लगाया, जबकि संयुक्त निदेशक रजनीश शर्मा को विज्ञापन शाखा की जिम्मेदारी सौंपी

न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर, योगेंद्र शर्मा को सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय बारां, आशीष जैन को मुख्यालय जयपुर की सी.एन.डी. शाखा, साक्षी पुरोहित को विद्युत वितरण निगम लि. जोधपुर, संतोष कुमार मीणा को पंचायतीराज विभाग जयपुर, भाग्यश्री गोदार को राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, राजेश यादव को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर में लगाते हुए निर्वाचन विभाग का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा है।

इसी प्रकार सहायक जनसंपर्क अधिकारी इशांत कावरा को सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय भीलवाड़ा, अमय सिंघ को सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय बाड़मेर, अभिमन्यु सिंह को सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय डीडवाना-कुचायम, दीपक चक्रवर्ती को सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय करौली, राहुल आशीवाल को सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय कोटपतली-बहरोड, नितिन कुमार को मुख्यालय जयपुर (क्षेत्र प्रचार शाखा), नरेन्द्र सिंह शेखावत को मुख्यालय जयपुर की ईएनजी शाखा, मयंक राज गुर्जर को सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय अजमेर, राजेश को सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय जालौर, मोहित जैन को अल्प संख्यक मामलात जयपुर, पल्लव जेशी को मुख्यालय जयपुर की सी.एन.डी. शाखा में लगाया है। इसी प्रकार सहायक जनसंपर्क अधिकारी दिनेश कुमार शर्मा को सहकारिता विभाग जयपुर और खाद्य विभाग, रवि वर्मा और प्रियंका चतुर्वेदी को मुख्यालय जयपुर में साहित्य शाखा, अंकित शर्मा को सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय बांसवाड़ा और छगनलाल यादव को सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय अलवर के पद पर लगाया है।

## मुख्यमंत्री ने डेरा प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह से मुलाकात की

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को बीलवा स्थित राधास्वामी सरसंग व्यास केन्द्र पहुंचे। उन्होंने राधास्वामी व्यास के डेरा प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह दिल्ली से आत्मीय मुलाकात की तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाबा गुरिंदर सिंह दिल्ली से आध्यात्म, सामाजिक मूल्यों, समाज में व्याप्त कुरीतियों आदि विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

# राहुल गांधी का भारत को लेकर दिया गया बयान पूर्णरूप से निंदनीय : मदन राठौड़

■ 'राहुल गांधी शब्दों तक का चयन नहीं कर पा रहे, उनका दिमाग, शरीर और दिल कहीं और'

राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी खुद अपनी पार्टी के बारे में भी नहीं जानते। राजस्थान की कांग्रेस इकाई ने कहा था कि आरएसएस की तरह हम भी शाखा लगाएंगे, जब कांग्रेस आरएसएस की

तर्ज पर शाखा लगाना चाहती है तो उन्हें कांग्रेस छोड़कर आरएसएस में आ जाना चाहिए। अब राहुल गांधी को खुद को नहीं पता कि उनकी राजस्थान इकाई ने क्या कहा था, जो पार्टी आरएसएस की तर्ज पर शाखा लगाने की बात कर रही है और वह कह रहे हैं कि भारत स्टेट से संघर्ष करेंगे, भारत के प्रति राहुल गांधी का रुख पता नहीं ऐसा क्यों है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राहुल ननिहाल इटली को ज्यादा याद

रखते हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। संघ की विचारधारा किसी व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष के लिए नहीं है। आरएसएस हमारी संस्कृति, हमारे नैतिक मूल्यों, हमारी सभ्यता और हमारे आदर्शों को महत्व देता है और इनके संवर्धन के लिए कार्य करता है। राहुल गांधी को देश को मजबूत बनाने वाली, भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाली बातें करनी चाहिए थीं, लेकिन उनका भारत से संघर्ष करने का बयान देना, पूर्ण रूप से निंदनीय है।

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी द्वारा भारत को लेकर दिया गया बयान उनकी सोच को दर्शाता है। भारत स्टेट से संघर्ष करने जैसा बयान उनको नहीं देना चाहिए। उनके बयान से लगता है कि वे शब्दों का चयन तक सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। उनकी बातों से यह स्पष्ट हो गया है कि उनका दिमाग कहीं और, शरीर कहीं और और दिल कहीं और लगा हुआ है।


## सेवादल भी लगाएगा अब शाखाएं

जयपुर। कांग्रेस सेवादल की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक जयपुर के बाड़ा पदमपुरा में 17 से 19 जनवरी तक होने जा रही है। इस बैठक में संगठन के राष्ट्रीय स्तर के 200 से ज्यादा पदाधिकारी शामिल होंगे, जो संगठन को मजबूत बनाने के लिए मंथन करेंगे। इस बैठक में संगठन के ढांचे को मजबूत बनाने और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा तादाद में सेवादल से जोड़ने की रणनीति तैयार की जाएगी। इसके साथ ही आगामी दो साल के लिए कार्ययोजना भी तैयार की जाएगी।

कोंग्रेस सेवा दल भी अपने पुराने स्वरूप को निखारकर संगठन को और मजबूत बनाते हुए आरएसएस को टक्कर देने की तैयारी में है।



जयपुर में दोपहर बाद काली घटाएं घिर आईं और तेज बर्फा होने लगी। इस दौरान सड़कों पर पानी भर गया और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं भारी ठंड की वजह से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गये।



मल मास समाप्त होते ही मोती डुंगरी गणेश मंदिर पर भारी भीड़ हो गई। साथ ही बारिश भी शुरू हो गई तो त्रिमूर्ति सर्किल के चारों तरफ लंबा जाम देखने को मिला।

# 'रजिस्टर्ड व एम.डी.स्तर के डॉक्टर्स ही मेडिकल रिपोर्ट हस्ताक्षरित करें'

■ हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और एम.सी.आई. के 2017 के आदेशों को सही मानते हुए नियमों को लागू कराने के आदेश दिये

जयपुर, (का.सं.)। प्रदेश भर में मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया (एम.सी.आई.) द्वारा 14 जून 2017 को जारी आदेश कि सभी मेडिकल रिपोर्ट पर एम.सी.आई. अथवा स्टेट मेडिकल कौंसिल में पंजीकृत डॉक्टरों द्वारा ही हस्ताक्षरित हों, इस नियम को लागू कराने के लिये दायर याचिका पर सुनवाई हुई। प्रेक्टिसिंग पैथोलॉजिस्ट सोसायटी की ओर से दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2017 में दिये गये आदेश कि केवल एक पोस्ट ग्राजुएट स्तर

के पैथोलॉजिस्ट ही मेडिकल रिपोर्ट पर हस्ताक्षरित करें, इस आदेश की पालना कराने हेतु गुहार की थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता गौरव गुप्ता पैरवी के लिये पेश हुए थे और अदालत ने मेडिकल और हेल्थ एंड फेमिली वेलफेयर

मंत्रालय, नेशनल एकेडेशन बोर्ड फॉर टैस्टिंग एंड केलिब्रेशन लेबोरेट्रिज के साथ-साथ राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव और डायरेक्टर, राजस्थान मेडिकल कौंसिल के रजिस्ट्रार और डी.जी.पुलिस को जबाब तलब किया है। और सुनवाई के

अंत में न्यायाधीश अबनीश जिगम ने याचिकाकर्ता के सभी तथ्यों को सही मानते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट और एम.सी.आई. का आदेश सही है और जनहित में है। जिसे राज्य में लागू करना आवश्यक है। अदालत ने कहा कि क्योंकि मामले में कानूनी पक्ष सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया जा चुका है, इस पर हाईकोर्ट कोई अन्य कार्रवाही नहीं कर रहा, परंतु याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना के खिलाफ पुनः याचिका दायर कर सकते हैं।